राजस्थान सरकार

निलम्बन

आदेश अवलोकन दि. 4/7/2019

शिकायत पत्रावली पेश हुई। फरीक उपस्थित हुए। उपस्थित की बहस आदेश पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अवलोकन किया गया। फरीकैन की बहस से प्रथम दृष्टया फरीकैन के मध्य कोई विवाद अवलोकन की जरूरत नहीं है। फरीकैन पर पेश की गई रिपोर्ट/नोटिस डाकिया पर अवलोकन से तथ्यों को साबित करने में असमर्थ है। इसलिए डाकिया अवलोकन चलाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अवलोकन खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर के क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक शिकायत की खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय